विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जो सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए हैं। इसमें अधिक भुगतान, परिहार्य भुगतान, निष्फल व्यय, निधियों का अवरोधन तथा खराब योजना आदि से संबंधित ₹676.72 करोड़ के धन मूल्य वाले 62 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

उपयोग प्रमाण-पत्र

मार्च 2015 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹31153.13 करोड़ की राशि वाले 42314 उपयोग प्रमाण-पत्र 33 मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2016 तक (वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान जारी किए गए थे, के 12 महीनों के पश्चात्) बकाया थे।

*(**पैराग्राफ सं.** 1.3)*

कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)

लोक लेखा समिति के अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के पश्चात् भी 51 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

*(**पैराग्राफ सं.** 1.7)*

राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान, कोलकाता (एनआईएच)

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा डीजीएचएस एवं भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, बाह्य रोगी विभागों में रोगियों को एनआईएच द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, तीन ओपीडी में प्रसाधन जल के रिसाव, अपर्याप्त वायुसंचार, अपर्याप्त बैठने की क्षमता तथा वाटर फिल्टर त्रुटिपूर्ण थे। एनआईएच ड्रग्स का पर्याप्त स्टॉक अनुरक्षित करने में विफल रहा, 2013-15 के दौरान किए गए 158 सर्जरियों के प्रति 2015-16 के दौरान केवल एक सामान्य सर्जरी की गई। छत के क्षतिग्रस्त होने के कारण 2013-16 के दौरान बाल चिकित्सा

वार्ड कार्य नहीं कर रहा था तथा 10 बच्चे महिला वार्ड में भर्ती किए गए थे। विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग न होने/कम उपयोग होने के कई उदाहरण थे।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

रियायत दर के अधोमुखी संशोधन के कारण अधिक दी गई सब्सिडी पर ₹25.78 करोड का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

नागरिक विमानन मंत्रालय

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) एयरलाईनों से सुरक्षा शुल्क की शीघ्र वसूली करने के अपने न्यासीयों कर्तव्य को पूरा करे और इसे निलम्बलेख लेखा में जमा करे। परिणामत: एयरलाईनों के प्रति बकाया राशियां संचित हो गई तथा किंगफिशर एयरलाईन्स के ₹9.19 करोड़ की वसूली संदिग्ध हो गई।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

बीमांकिक सिफारिशों के गैर कार्यान्वयन के कारण, पेंशन निधि में अत्यधिक कमी, पेंशन निधि लेखे से भविष्य निधि लेखे में निधियों का गलत विपथन, भविष्य निधि की अपने कर्मचारियों के मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ब्याज का गलत भुगतान, पेंशन का अतिरिक्त भुगतान, सात वर्षों से अधिक लापता ₹1.71 करोड़ की राशि, कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम से चालू खाताओं को न जोड़ने और प्रशासनिक प्रभारों के दरों की समीक्षा न होने के कारण कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के वित्तीय हित बुरी तरह प्रभावित हुए।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय गैलरी आधुनिक कला

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में मुख्य पदों को भरने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता का परिणाम 16582 कलाकृतियां को उत्कृष्ट भंडारण व्यवस्था में पुनर्स्थापित करने में विफलता में हुआ, जो मार्च 2014 से ₹ 3.81 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना।

*(**पैराग्राफ सं.** 8.1)*

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना

एक परियोजना को मॉनीटर करने और वित्तीय नियमों में वर्णित उचित अनुच्छेद को सम्मिलित करने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप टैगोर सांस्कृतिक परिसर के लिए योजना के अन्तर्गत गोवा सरकार को दी गई अप्रयुक्त अनुदान सहायता पर ₹2.14 करोड़ के अवरोधन हुआ और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

*(**पैराग्राफ सं.** 8.2)*

विदेश मंत्रालय

चांसरी के अध्यक्ष तथा अन्य द्वारा भारत के वाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिस्को में धोखाधड़ी के तीन मामलों का पता चला जो आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण हुए थे। ये सरकारी स्टाफ कार की सर्विसिंग (₹3.37 लाख), कर्मचारियों को जाली वाहन प्रभारों की बड़े पैमाने पर तथा आवर्ती प्रतिपूर्ति (₹55.21 लाख) तथा स्थानीय मरम्मत फर्म को भुगतान पर प्रकल्पित धोखाधड़ी से संबंधित थे।

(**पैराग्राफ सं.** *9.2*)

भारतीय दूतावास, टोक्यो ने सकूरा उत्सव 2015 के आयोजन के दौरान प्राप्ति तथा व्यय को दूतावास लेखे से बाहर रख कर सामान्य वित्तीय नियमावली तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का उल्लंघन किया।

*(**पैराग्राफ सं.** 9.3)*

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार

मंत्रालय द्वारा नियमित शासित बोर्ड जैसाकि अधिनियम में प्रावधान था, का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि एन्डोमेन्ट समिति बनाई गई थी लेकिन वह अप्रभावशाली थी। विश्वविद्यालय शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु नियम एवं विनियम बनाने में असफल रहा तथा कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) की नियुक्ति में अनियमितताएं थीं कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) को ₹57.40 लाख राशि के आयकर की अनुचित प्रतिपूर्ति की गई थी। विश्वविद्यालय समय पर स्कूलों की स्थापना करने में विफल रहा तथा विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं कर सका।

(पैराग्राफ सं. 9.4)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

जेडएलएन टेबलेट्स की अधिप्राप्ति में वित्तीय नियमों का अनुसरण करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की विफलता के कारण ₹2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं (मु.)

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल), आर.के पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के स्वामित्व वाले भवन में सरकारी तथा निजी रोगियों को नैदानिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। सीजीएचएस लाभभोगियों को 10 प्रतिशत की अपर्याप्त छूट के अतिरिक्त, एचएलएल वर्तमान आदेशों के अनुसार कोई किराया नहीं देती थी जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से दिसम्बर 2016 के दौरान ₹1.72 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 11.3)

जवाहरलाल इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) पुडुचेरी

विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति के बावजूद, उपकरण की स्थापना में विलम्ब हुआ तथा प्रयोगशालाएं शुरू नहीं हुई। जेआईपीएमईआर में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं मे अवसरंचना, मानव संसाधन तथा सेवाओं का अभाव था। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली ओपीडी, ओपीडी में स्क्रीनिंग ओपीडी का अभाव, सुपर स्पशियलिटी सेवाओं में डॉक्टर-रोगी का घटता अनुपात, नर्सिंग कार्मिकों की अपर्याप्त उपलब्धता, विशेज्ञता-प्राप्त हस्तक्षेपीय दर्द प्रबंधन केन्द्र, ओटी की अपर्याप्ताएं, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी यूनिट, उन्नत इमेजिंग एवं प्रयोगशाला सेवाओं की अपर्याप्तताएं तथा निजी प्रयोगशालाओं एवं स्केन केन्द्रों पर निर्भरता पाई गईं थी।

(पैराग्राफ सं. 11.4)

गृह मंत्रालय

समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, कोहिमा, के लिए निर्मित कार्यालय सह आवासीय परिसर में पानी पूर्ति की संभाव्यता, परिसरों के अनाधिकृत कब्जे पर रोक और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की चोरी सुनिश्चित करने में सीपीडब्लूडी असफल रहा। परिणामस्वरूप, जुलाई 2011 तक पूर्ण निर्मित परिसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका था जिससे ₹2.98 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था।

(पैराग्राफ सं. 12.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डाक्टर हरीसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूर्णतया उपयोग करने में विफल रहा तथा इसने ₹6.53 करोड के अपेक्षाकृत कम ब्याज के साथ अव्ययित राशि वापस की। ये अपने किराएदारों से ₹48.38 लाख का किराया वसूल नहीं कर सका। केन्द्रीय उन्नत यंत्रविन्यास प्रयोगशाला सहित निर्माण

कार्यों में असाधारण विलम्ब हुए थे। निम्नतम बोलीदाता की उपेक्षा, निविदाओं को खोलने के बाद संशोधित बोलियों को स्वीकार करने और कोई कारण बताए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरणों की खरीद के द्वारा उपकरण की प्राप्ति में जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन पाए गये। पुन: निविदा आमंत्रण के बिना उच्च माडल की खरीद पर विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो प्रयोगशाला का निर्माण पूरा न होने के कारण असंस्थापित पड़ा रहा।

(पैराग्राफ सं. 13.1)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केवीएस ने लेखा संहिता में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में परियोजना केन्द्रीय विद्यालय (केवी) पर व्यय किया। 31 मार्च 2016 को 81 परियोजना केवी जिनमें से 34 बंद हो गए थे और उनसे वसूली की संभावना बहुत कम थी, से ₹59.67 करोड़ प्राप्य थे।

(पैराग्राफ सं. 13.3)

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर

एमएनआईटी का सम्पदा प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि एमएनआईटी द्वारा ₹1163.77 करोड़ की कीमत वाली अतिक्रमण भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने और राजस्व विभाग के साथ अपने भूमि अभिलेखों का मिलान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। एमएनआईटी ने पट्टेधारियों के साथ अनुबन्ध नहीं किया था और समय-समय पर किराये को पुनः निर्धारित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹58.67 लाख के किराया राजस्व की हानि हुई और ₹56.98 लाख का किराया पुनर्निर्धारण के बावजूद वसूल नहीं किया गया था। सभी छात्रों को हॉस्टल मुहैया नहीं किया गया था जैसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संविधियों के अधीन अपेक्षित था और 30.86 प्रतिशत छात्र हॉस्टल सुविधा से वंचित हुए थे। एमएनआईटी का कार्य ठेका तन्त्र अपूर्ण था क्योंकि आवासीय क्वार्टरों का आवश्यकता से अधिक निर्माण किया गया था। एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट

लिमिटेड (आरईआईएल) को ₹1.47 करोड़ का देय भुगतान किया और ठेकेदार के दावों से ₹3.22 करोड़ रोकने/काटने में विफल हो गया।

(पैराग्राफ सं. 13.4)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सस्थान, इलाहाबाद

सीपीडब्ल्यू द्वारा निर्माण कार्य सौपने में एक से 17 माह के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹19.35 की अतिरिक्त लागत आई। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईआईटी), अमेठी में प्रशासनिक तथा अकादमिक भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.5)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चार संस्थान (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रांची तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता) ने बाहर से ली गई सेवाओं पर कुल ₹12.42 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया जबकि ये सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से मुक्त थीं।

(पैराग्राफ सं. 13.7)

गुजरात विद्यापीठ

अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए जीओआई प्रतिमानों के अनुसार पद आधारित रोस्टर अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों में नियुक्तियां यूजीसी/जीओआई निर्देशों के उल्लंघन में की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.11)

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने छुट्टी रियायत का लाभ लेने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में अप्राधिकृत एजेंटों से अपने कर्मचारियों

द्वारा खरीदे गए एयर टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹6.90 करोड का हवाई किराया अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खडगपुर ने दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹1.14 करोड का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि आईआईटी खडगपुर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रतिपूर्ति हवाई किराए ₹18.56 लाख तक बढ़ाकर किए गए थे।

(पैराग्राफ सं. 13.15)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसूचित समयावधि से अधिक समय तक छात्रावास में रहने में हुआ। शैक्षणिक वर्ष 2010-11, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान दाखिले रूके रहे थे। छात्र अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों की समयावधि के बाद भी बगैर किसी छात्रावास शुल्क/छात्रावास प्रभार के ही शैक्षणिक नामावली पर तथा छात्रावासों में बने रहे जिसकी वजह से ₹ 11.83 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सेवा कर के अनियमित भुगतान, अग्रिम अदायगी का अधिक दिया जाना/जारी करना तथा बगैर किसी अनुरूप लाभ के परामर्शी शुल्क पर निष्फल व्यय के मामले पाए गए थे।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी की सफलता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न संरचनात्मक कमियों द्वारा बाधित हुई। विभिन्न एजेंसियों के पास योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी निधियां व्यर्थ पड़ी रही। कार्यक्रम कार्यकलापों की निगरानी तथा नियंत्रण खराब था। प्रत्यक्ष सत्यापन में भी पिछला कार्य शेष था। यहां तक कि

जहां पर भी प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था वहां पर भी परिणामों पर आगे की कार्यवाही नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ सं. 16.1)

पोत परिवहन मंत्रालय

मुबंई पतन न्यास

पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने के मुंबई पतन न्यास की विफलता का परिणाम पिछले छः वर्षों से केवल रात्रि पार्किग प्रभारों पर ₹23.10 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 19.1)

कपड़ा मंत्रालय

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा 16 जूट इकाईयों को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता प्लांट एवं मशीनों के अधिग्रहण (पूंजीगत सहायता) योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में दी गई।

(पैराग्राफ सं. 20.1)

जनजातीय मामले मंत्रालय

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी)

जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पर्याप्त आकलन के अभाव में तथा कार्यालयी परिसर हेतु लागू शर्तों के अनुसार टीआरआईएफईडी की विफलता के परिणामस्वरूप तीसरी किश्त (₹5.20 करोड़) का असामयिक भुगतान, ब्याज का समग्र घाटा (₹3.15 करोड़) तथा रद्द किए गए प्रभारों (₹0.54 करोड़) का अनावश्यक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 21.1)

युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक ₹46.73 करोड़ के अव्ययित शेष, जो युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा भावी अनुदानों से समायोजित किया जाना अपेक्षित था, सामान्य प्रयोजन अनुदानों में असमायोजित पड़ा था। एनवाईकेएस में चिन्हित निधियों के दुरूपयोग के मामले देखे गए जिसके कारण निधियां व्यर्थ पड़ी रही। एनवाईकेएस ने 2012-13 से 2014-15 तक के वर्षों के वार्षिक लेखाओं को 12 से 19 महीनों तक के विलम्ब से अंतिम रूप दिया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से खरीदा गया टेली सॉफ्टवेयर का एनवाईकेएस द्वारा अनुकूलतम उपयोग नहीं किया गया था। 338 जिलों में, जिला युवा समन्वयक तथा लेखा लिपिक-सह-टंककों की भारी कमी थी। अलीपुर तथा भुवनेश्वर के भुगतान एवं लेखा कार्यालय में भी 13 महीनों से 9 वर्षों तक के लिए ₹1.66 करोड़ राशि की निधियों के व्यर्थ पड़े रहने के उदाहरण देखे गये थे।

(पैराग्राफ सं. 23.1)